AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

बिहार में कृषि विकास हेतु सरकारी नीतियॉः एक मुल्यांकन

ORIGINAL ARTICLE

Author
डॉ. मुकेश कुमार राम
ग्राम–टेरूऑ
पोस्ट–फैजलाहपुर,
गोपालगंज, बिहार, भारत

शोध सार

आज विश्व आबादी का एक बड़ा हिस्सा खाद्य असुरक्षा जैसी गंभीर समस्या से जूझ रहा है। यह समस्या स्वतः ही विभिन्न समस्याओं को जन्म देती है। भुखमरी के साथ–साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जिंक, आयरन, विटामिन ए और आयोडीन की कमी से भी विश्व आबादी का बड़ा भाग ग्रसित हो रहा है। दूसरी तरफ कृषि की रीढ़ माने जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, जल और वायु में लगातार गिरावट होती जा रही है। खाद्य सुरक्षा का अभिन्न अंग है। देश की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना नितान्त आवश्यक है जिससे कोई भी भारतीय भूखे पेट न सो सके। साथ ही खाद्यान्न आपूर्ति के लिए प्रभावी कार्य व्यापक तौर पर करने की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द

बिहार की कृषि, सरकारी नीतियॉ, रोजगार, बेरोजगारी, सरकारी योजनाएँ, सफल घरेलु उत्पाद, कृषि और मंहगाई.

हमारे देश की खुशहाली का रास्ता खेतों–खलिहानों और गांवों से होकर गुजरता है। आज भी हमारे देश की दो तिहाई जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि का 17 प्रतिशत योगदान है।

देश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा आज भी कृषि में ही लगा हुआ है और वही उसके रोजगार का एकमात्र साधन भी है लेकिन इतने लोगों को व्यवसाय देने वाला यह क्षेत्र हमेशा ही उपेक्षा का शिकार भी रहा है। अंग्रेजों के आने के बाद भारत में कृषि की समस्या लगातार विकराल रूप लेने लगी थी। किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा लगान चुकाने में ही चला जाता था, उसी असंतोष का नतीजा था कि किसानों ने आजादी की लड़ाई में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया था। स्वतंत्रता संग्राम ने उन्हें यह आशा दी थी कि जब भारत के लोग खुद सत्ता में आएंगे तो उनकी समस्याएं दूर हो सकेंगी। आजादी के बाद की सरकार ने कृषि क्षेत्र और किसानों के विकास के लिए काफी योजनाएं बनाई और इस क्षेत्र में काफी सुधार भी किया। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें कृषि पैदावार के बढ़ाने से लेकर अनाजों के लिए सुगम बाजार और अच्छे दाम दिलाने के लिए प्रयासरत रहे लेकिन कृषि को अगर वर्तमान परिदृश्य में देखें तो हम पाते हैं कि हमारे देश में बड़ी जोत के किसान भी आज मजदूरी करने को विवश हैं। हमारे देश में ही महाराष्ट्र, आंध्रपदेश, तेलंगाना और विदर्भ जैसे इलाकों के किसान आए दिन सिर्फ आत्महस्या की वजह से अखबारों में जगह पाते हैं। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए और वर्तमान संकटों से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने कई तरह की योजनाएं चलाई हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। इस योजना की मांग किसान वर्षों से करते आ रहे हैं। इस बीमा योजना के तहत रबी की फसल पर प्रीमियम डेढ़ फीसदी होगा तो वहीं खरीफ के लिए यह प्रीमियम दो फीसदी तय किया गया है। गौरतलब है कि पहले यह बीमा प्रीमियम 15 फीसदी होता था। इस योजना के तहत कैपिंग का प्रावधान पूरी तरह हटा दिया गया है, जिससे किसानों को पूरा लाभ मिल सकेगा। इस योजना में कम प्रीमियम में ज्यादा जोखिम कवर होगा और ज्यादा सहायता दी जाएगी। फसल बीमा को व्यापक तक को समेंटने की कोशिश की गई है। पोस्ट हार्वेस्टिंग में होने वाले नुकसान को भी शामिल किया गया है। बीमा क्लेम के लिए अब लंबे समय तक इंतजार नहीं करना होगा। ऐसा कई बार देखा जाता है कि किसानों तक बीमा के रुपये पहुंचने में सालों लग जाते हैं और वो किसान तब तक कर्ज में पूरी तरह डूब चुका होता है और बीमा का पैसा कर्ज चुकाने में ही खर्च हो जाता है। इस योजना का क्रियान्वयन सही होता है तो यह किसानों के खेती करने को न सिर्फ आसान बनायेगा बल्कि उनके अंदर के उस छुपे डर को भी निकाल फेंकेगा, जिसके कारण किसान फसलों पर ज्यादा पैसे खर्च करने से डरते हैं। इसके तहत प्राकृतिक आपदा के तुरंत बाद 25 फीसदी क्लेम सीधा संबंधित किसानों के बैंक खाते में पहुंच जाएगा। वहीं बाकी का भुगतान नुकसान के आकलन के बाद किया जाएगा। इसमें फसलों की कटाई से प्राप्त आंकड़ा भी शामिल होगा। इसके लिए राजस्व विभाग के कर्मचारियों को स्मार्ट फोन भी मुहैया कराया जाएगा। इस योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के साथ स्थानीय आपदाओं को भी जोड़ लिया गया है। ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश अथवा आंधी–तूफान से स्थानीय–स्तर पर होने वाले नुकसान पर भी बीमा का भुगतान किया जाएगा। इस योजना पर इस वर्ष 17,600 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है। केन्द्र ने 8,800 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं इतनी ही रकम राज्य सरकारें देंगी। फिलवक्त कर्ज लेने वाले किसानों के लिए फसल बीमा लेना जरूरी रखा गया है।

फसल बीमा के अलावा किसानों के लिए सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था करना संकट का विषय रहा है। ऐसा तो हम हमेशा से ही सुनते आए हैं कि किसी भी खेत में सिर्फ पटवन की सुविधा मात्र से ही उस खेत की उत्पादक क्षमता लगभग दुगुनी हो जाती है। किसानों के खेतों तक नहरों का न पहुंचना और बिजली की समस्या के अलावा सिंचाई को बदलते वैश्विक परिदृश्य और जलवायु परिवर्तन ने और भी भयावह बना दिया है। मौसम लगातार बदल रहा है, जब किसान के खेतों को सबसे ज्यादा बारिश की जरूरत होती है तो वर्षा कहीं गायब–सी हो जाती है। दो सालों से देश में सूखे का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। वो तो किसानों का अदम्य साहस और खेतों से उनका लगाव है जिसके बलबूते वे आज भी इस व्यवसाय में न सिर्फ लगे हुए हैं बल्कि वे जी–तोड़ मेहनत करके समस्त देशवासियों का पेट भर रहे हैं। वे जिन फसलों की खेती कर रहे हैं वो अनाज उन्हें खाने के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। दलहन फसलें इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। किसानों की थालियों से दाल कब की गायब हो चुकी है।[1] सिंचाई की इन्हीं तमाम दिक्कतों व परेशानियों को ध्यान की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' को मंजूरी दी है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं:

1. इस योजना के अंतर्गत कृषि जलवायु की दशाओं और पानी की उपलब्धता के आधार पर जिला और राज्य–स्तरीय योजनाएं बनायी जाएंगी।
2. इस योजना का उद्देश्य देश के हर खेत तक किसी न किसी माध्यम से सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित करना है ताकि प्रति बँद और अधिक फसल ली जा सके।
3. इस योजना के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस योजना में हर खेत तक सिंचाई का जल पहुंचाना और इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में राज्यों को अधिक धन इस्तेमाल करने की लचीली सुविधा व स्वायतत्ता दी गई है।
4. इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य कृषि विभाग नोडल एजेंसी के रूप में काम करेंगे तो वहीं समय–समय पर समीक्षा के लिए अंतर–मंत्रालयी राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) होगी।

5. इस योजना में केंद्र जहां 75 फीसदी अनुदान देगा तो वहीं 25 फीसदी खर्च राज्यों के जिम्मे होगा।
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों में केंद्र का 90 तक होगा।

ये योजनाएं फसल उपज में मदद करेंगी। किसानों की समस्या सिर्फ सही मात्रा उपज में मदद करेंगी। किसानों की समस्या सिर्फ सही मात्रा में फसल उपजाने तक ही सीमित नहीं है। अनाजों को बाजार तक ले जाने और अच्छा दाम पाने तक उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसानों को इस विषय में पर्याप्त जानकारियां न होने की वजह से स्थिति और भी जटिल हो जाती है। इससे भी निपटने के लिए सरकार के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किसानों को कृषि और टेक्नोलॉजी से रूबरू कराने के लिए ''एग्रीमार्केट और फसल बीमा'' के नाम से मोबाईल ऐप लॉन्च किया है। यही नहीं, इसके अलावा भी वर्तमान सरकार टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रही है।

इसके साथ ही किसानों की शिकायतों का निराकरण करने हेतु भी एक पहल की गई है। इसके लिए Centralçed Public Grievance RedressAnd Monitoring System (CPGRAMS) के नाम से एक वेब पोर्टल की भी शुरूआत की है। यहां किसान खुद या उनसे संबंधित संस्थाएं खुद को रजिस्टर कराके अपनी दिक्कतों और परेशानियों के बारे में सरकार को रूबरू करा सकती है।

कोई भी देश तभी खुशहाल रह सकता है जब वहां की कृषि व्यवस्था और किसान अच्छी स्थिति में हों। हमारे देश पर भी यही बात लागू होती है। अभी भी हमारे देश में लाखो लोग ऐसे हैं जिन्हें दो वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता है।

इस स्थिति को समझते हुए भारत में हरितक्रांति के जनक डॉ. स्वामीनाथन ने कहा कि वे कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी बनाने हेतु प्रतिबद्ध हैं। वे कहते हैं कि हमारे देश की 60 करोड़ जनसंख्या आज प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप् से कृषि से जुड़ी हुई है। वे कृषि को देश का सबसे बड़ा निजी उपक्रम मानते हैं। डॉ. स्वामीनाथन कहते हैं कि कृषि 10,000 साल पुराना उद्योग है, जिसका इतिहास मोहनजोदड़ों और हड़प्पा की संस्कृति तक जाता है। यही नहीं, उनका मानना है कि सिर्फ और सिर्फ कृषि के भीतर ही वो क्षमता है जिससे हमारा देश समावेशी विकास के साथ आगे बढ़ सकता है। इसके लिए जरूरत है कि हम कृषि को रोजगार से जोड़े। इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि वे औद्योगिक घरानों को सब्सिडी देने के साथ–साथ खेती–किसानी में जुड़ी 70 फीसदी जनसंख्या के प्रति सहयोगात्मक रवैया रखे।

इन्हीं बातों पर ध्यान देते हुए कृषि की बेहतरी के कई और अहम प्रयास किए गए हैं उसके कुछ अहम बिंदु ये हैं:

1. नाबार्ड के ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष को वित्तीय वर्ष 2015–16 में 25,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त फंड भी सरकार ने आवंटित किए है।
2. लंबी अवधि के ग्रामीण क्रेडिट फंड के तहत वित्तीय वर्ष 2015–16 में 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
3. लघु अवधि को–ऑपरेटिव ग्रामीण ऋण पुर्नवित्त कोष के तहत वित्तीय वर्ष 2015–16 में 45,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
4. लघु अवधि के आर.आर.बी. पुर्नवित्त फंड के तहत 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

केंद्र सरकार की ओर से किसानों की समृद्धि के लिए लगातार नए प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को नई–नई योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। साथ ही पहले से चल रही योजनाओं को भरपूर बजट मुहैया कराते हुए किसानों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि जब तक देश के किसान समृद्ध और खुशहाल नहीं होंगे तब तक भारत में पूर्ण समृद्धि नहीं आ सकती है। इसी वजह से केन्द्र सरकार ने अपने पहले बजट में जहां किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के तमाम प्रावधान

किए वहीं अन्य योजनाओं के लिए भी पर्याप्त बजट का इंतजाम किया। करीब एक साल के कार्यकाल में केन्द्र सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए किसानों की समृद्धि हेतु भी प्रयासरत हैं। कृषि के जरिए न सिर्फ हमें अनाज मिलता है बल्कि मेहनती हाथों को काम भी मिलता है। ऐसी स्थिति में खेती के क्षेत्र में जितनी अधिक तरक्की होगी, उसी अनुपात में देश की तरक्की की गति भी बढ़ेगी।

पिछले दिनों कई प्रदेशों में ओलावृष्टि एवं बेमौसम की बारिश से भारी तबाही मची। किसानों की इस तबाही को केन्द्र सरकार ने काफी गंभीरता से लिया। यदि हम 24 अप्रैल, 2015 की राज्यवार ओलावृष्टि के आंकड़ों को देखें तो देश में अब कुल मिलाकर 189.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के प्रभावित होने का अनुमान लगाया गया है। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार ने प्रभावित राज्यों के लिए विशेष टीमें गठित कर वहां का सर्वे भी कराया है ताकि संबंधित राज्यों को उसी हिसाब से मुआवजा दिलाया जा सके। हालांकि ओलावष्टि से हुए नुकसान को देखते हुए केन्द्र सरकार की ओर से किसानों को राहत देने के लिए तमाम प्रयास तत्काल शुरू कर दिए गए।

इसी के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दो प्रमुख घोषणाएं की हैं। इसके तहत उन्होंने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एन.डी.आर.एफ.) से किसानों को दी जाने वाली राहत में 50 फीसदी की वृद्धि कर दी है। इसके साथ ही न्यूनतम क्षतिग्रस्त फसल क्षेत्र के आकार को मौजूदा 50 फीसदी से घटाकर 33 फीसदी के स्तर पर ला दिया है। इससे ओलावृष्टि से कराह रहे किसानों को काफी लाभ मिला है। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद कृषि मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। इसके तहत मुआवजा राशि कम पड़ने पर राज्यों को अपने प्रदेश के आकस्मिक कोष के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। कृषि मंत्रालय ने कृषि बीमा योजनाओं के तहत दावों के त्वरित निपटाने के लिए भी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है। राज्य–स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकें आयोजित कर फसल ऋणों की पुनर्संरचना समय पर सुनिश्चित करने के लिए भी राज्यों को निर्देशित किया गया। इसके साथ ही ऋण पुनर्भुगतान अवधि को भी एक साल बढ़ाने की बात कही गई है।

इसी तरह बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत कृषि मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर प्याज तथा आलू की क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन करने और संबंधित दिशा–निर्देशों के मुताबिक प्रस्ताव भेजने को कहा है। दरअसल प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, ओलावृष्टि, कीटों के हमले और पाला/शीतलहर से उपजने वाली स्थितियों से निपटने के लिए राज्य आपदा राहत कोष (एस.डी.आर.एफ.) से आवश्यक राहत मुहैया कराने का अधिकार राज्य सरकारों को प्राप्त है। वे इस कोष से किसानों को मदद कर सकती है। भारत सरकार ने अग्रिम तौर पर (एस.डी.आर.एफ.) के केन्द्रीय हिस्से की पहली किस्त के रूप में 2015–16 के लिए संबंधित अवधि के दौरान राजस्थान के लिए 413.50 करोड़ रुपये, जम्मू–कृमीर के लिए 114.50 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश के लिए 253.125 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

प्राकृतिक आपदा आने पर कृषि एवं बागवानी फसलों का नुकसान होने की स्थिति में राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (एस.डी.आर.एफ.) व राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से किसानों को सहायता देने का प्रावधान है। यह सहायता वर्षा आधारित फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर 4500 रुपये, सिंचित फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर 9000 रुपये दी जाती है। हालांकि उसमें यह भी प्रावधान है कि यह सहायता 750 रुपये से कम न हो। बारहमासी फसलों के लिए 1200 रुपये प्रति हेक्टेयर है। यह बुआई क्षेत्र में 1500 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए जहां नुकसान 50 प्रतिशत और उससे अधिक है।

केन्द्र सरकार की ओर से न सिर्फ किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जा रहा है बल्कि उन्हें तकनीकी रूप से भी समृद्ध बनाया जा रहा है। किसानों को फसल उत्पादन के लिए प्रशिक्षण देने की भी मूल व्यवस्था की गई है। आई.सी.ए.आर. संस्थान व कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए किसानों को परंपरागत खेती के अलावा औषधीय और तकनीकी खेती के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। विपणन केंद्रों व उत्पादन केंद्रों के बीच परिवहन की कमी को दूर करने के लिए सरकार उपरोक्त योजनाओं के अलावा भी कई तरह के अन्य उपाय कर रही है जिसमें राज्यों के विपणन कानूनों में संशोधन की वकालत करना ताकि उत्पादन स्थल के निकट ही संग्रहण केन्द्र/खरीद केंद्रों का विकास निजी व सहकारिता के आधार पर किया जा सके। देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय

कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने अनुसंधान संस्थानों और अखिल भारतीय समन्वित विकास परियोजनाओं (ए.आई.सी.आर.पी.) के माध्यम से गेहूँ, चावल, मक्का, जई, चारा फसलों, तिलहनों, दालों, गन्ना, कपास, रेशा और बागवानी फसलों में अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़ और पुनर्गठित किया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए 16 अनुसंधान मंचों के संघ समेत कृषि में उच्च गुणवत्ता के अनुसंधान को बढ़ावा देना है।

इसी तरह केंद्र सरकार का जोर मिट्टी को स्वस्थ बनाने पर भी है। केंद्र सरकार चाहती है कि किसानों के खेत की मिट्टी स्वस्थ रहे, ताकि किसान अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। इसके लिए सरकार की ओर से देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसानों को मृदा में पोषक तत्वों के विषय में तथा इन तत्वों की कमी को दूर कर, मृदा के स्वास्थ्य में सुधार लाने और इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए पोषक तत्वों की उचित मात्रा की अनुशंसाओं को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इस कार्यक्रम के तहत नियमित तौर पर 3 वर्ष में एक बार देश के सभी खेतों के मृदा–स्वास्थ्य स्तर का मूल्यांकन करने की योजना है ताकि मृदा में पोषक तत्वों की कमियों को चिन्हित कर आवश्यक सुधार किए जा सके।

किसानों और कृषि क्षेत्र को अक्सर उत्पादन से संबंधित बदलावों और मूल्य की अस्थिरता जैसी समस्याओं से दो–चार होना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाली मौसम की असामान्यताएं बढ़ रही हैं और मौसम की असामान्य स्थितियों के कारण अक्सर सामान्य संस्थागत सहायता अपर्याप्त और कम पड़ जाती है। भारत में मौसम की ऐसी असामान्य स्थितियां बढ़ रही हैं और इनकी वजह से लाखों किसान परिवारों के कल्याण के लिए मजबूत प्रयास किया जाना बेहद आवश्यक हो गया है। किसानों के कल्याण के मामले पर आगे बढ़ने से पहले कई पहलुओं पर गौर किया जाना आवश्यक है। जब किसानों के कल्याण के उपाय सही दिशा में बढ़ेंगे, तो उनके साथ ही साथ औद्योगिकीय सुधारों और प्रौद्योगिकी के सृजन और उसके चलना होगा, ताकि किसानों को ज्यादा आमदनी उपलब्ध कराई जा सके और साथ ही साथ अनाज और अन्य जिंसों की बढ़ती मांग पूरी की जा सके। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020–21 तक अनाज की अनुमानित मांग 277 मिलियन और तिलहनों की मांग 71 मिलियन तक पहुंच जाएगी। यूँ तो अनाज और खाद्यान्न में वृद्धि की मौजूदा स्थिति के साथ इस मांग के पूरा हो जाने की संभावना है, लेकिन दलहन में कुछ कमी और सब्जियों/खाद्य तेलों में बेतहाशा कमी होने का अंदेशा है, जहां घरेलू खपत से जुड़ी करीब 60 प्रतिशत जरूरतें आयात के माध्यम से पूरी होती हैं।

उत्पादकता बढ़ाने, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने और कृषि संबंधी दक्षता व व्यवसायिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए बाजार तथा भूमि से संबंधित आवश्यक सुधारों द्वारा समुचित रूप से समर्थित उपायों से कृषि संबंधी विपदा से निपटने के लिए विकास के सम्मिलित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। जोखिम में कमी लाने और विविध गतिविधियों द्वारा जोखिम में कमी और अनुकूलन और आमदनी में वृद्धि के लिए किसानों को सहायता देने सहित पूर्वी राज्यों को वैकल्पिक अनाज के कटोरे के रूप में विकसित करने के लिए संस्थाओं और डिलिवरी सिस्टम स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिए जाने की भी आवश्यकता है। कृषक कल्याण सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का आधार रहा है। सरकार ने किसानों की समस्याओं का निराकरण करने और उनके कल्याण के लिए कई नवाचार और नए दृष्टिकोण वाले समाधान प्रारंभ किए हैं। एक ओर जहां इनमें सिंचाई के अंतर्गत अधिक क्षेत्रफल और अच्छी इनपुट की उपलब्धता संबंधी सहायता देना शामिल है, वहीं दूसरी ओर, फसल बीमा, राष्ट्रीय कृषि मंडी और मूल्य स्थिरता जैसे प्रोत्साहनों के जरिए किसानों को फसल नाकाम रहने और मूल्य अस्थिरता के जोखिमों के विपरीत अधिकार सम्पन्न बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। उच्च मूल्य वाली ऑर्गेनिक खेती, परंपरागत खेती और मवेशी तथा मत्स्यपालन सहित खेतीबाड़ी की विविधता सरकार के शीर्ष एजेंडे पर है। इसके अलावा, किसानों को नवीनतम प्रौद्योगिकियों और विपणन के अवसरों से अवगत कराने के लिए कृषि के समस्त पहलुओं के बारे में बेहतर जानकारी प्रदान करने का कार्य एक समर्पित टीवी चौनल डीडी किसान के माध्यम से किया जा रहा है। पिछले दो वर्षों में अनेक चुनौतियों से निपटने और देश के लाखों किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं और कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है[2]:

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

देश में, जहां बुवाई वाले क्षेत्र के 55 प्रतिशत हिस्से में पानी की किल्लत हो, वहां किसानों का कल्याण केवल हर खेत को पानी और प्रति बूँद अधिक फसल के माध्यम से ही संभव है। हाल ही में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने इसे सही संभावनाओं के साथ प्रस्तुत किया है, जिसमें जल भंडारण और उसके दक्ष उपयोग में वृद्धि के साथ–साथ सुगमता से किए जाने वाले कार्यों पर ज्यादा बल दिया गया है। पीएमकेएसवाई को मिशन मोड में कार्यान्वित करते हुए 28.5 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के दायरे में लाया जाएगा। वर्ष 2015–16 में त्वरित सिंचाई लाभ योजना (एआईबीपी) और पीएमकेएसवाई–हर खेत को पानी के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में 2510 करोड़ रुपये के पूरक अनुदान सहित पीएमकेएसवाइ के लिए 4510 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2016–17 के केंद्रीय बजट में पीएमकेएसवाई के लिए प्राथमिकता निर्धारित की गई है। 80.6 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई के लिए ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत अब तक सुस्त पड़ी 89 सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के काम में तेजी लाई जाएगी। प्रस्तावित धनराशि की आवश्यकता अगले साल 17000 करोड़ रुपये और अगले पांच वर्षों में 86500 करोड़ रुपये की शुरूआती राशि के साथ नाबार्ड में एक समर्पित दीर्घकालिक सिंचाई कोष की परिकल्पना की गई है। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, बजटीय सहायता तथा बाजार ऋण के जरिए वर्ष 2016–17 में कुल 12517 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

बहुत से राज्यों ने जल संरक्षण और फसल कटाई के लिए नवाचार अभ्यास प्रारंभ किए हैं। महाराष्ट्र ने जलयुक्त शिवार योजना शुरू की है, जिसमें जलाशय बनवाने और बहाल करने पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के माध्यम से धनराशि व्यवस्था की जाएगी। कर्नाटक सरकार ने सूक्ष्म–सिंचाई पर मिलने वाली केंद्रीय सब्सिडी में और राशि जोड़ते हुए पर इसे बढ़ा दिया है, ताकि इसका शत–प्रतिशत उपयोग स्प्रिंकल प्रणालियों में किया जा सके। गुजरात सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई के लिए किसानों की सहायता से जुड़ी अनोखी व्यवस्था को संस्थागत रूप प्रदान किया है। गुजरात हरित क्रांति निगम, केन्द्र से धनराशि प्राप्त करता है और उसके बाद शुरूआती तीन वर्षों के रख–रखाव के लिए साथ मिलकर सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। राजस्थान ने नहर के कमान क्षेत्रों में डिग्गी–कम–स्प्रिंक्लर व्यवस्था का कार्यान्वयन किया है, जहां नहर का बंद होना और टूटना तथा पानी की कम आपूर्ति होना सामान्य बात है। अन्य राज्यों ने भी जल संरक्षण, जल संचयन और जल के दक्ष उपयोग के लिए बहुत से नवीनतम जल–सकारात्मक और मिश्रित तरीके लागू किए हैं।

प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) के स्थान पर खरीफ मौसम 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन किया गया है। एनएआईएस/एमएनएआईएस में जो प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं, उनमें देशभर में फसलों/क्षेत्रफल के लिए वास्तविक प्रीमियम में किसानों के अंश को तर्कसंगत बनाया गया है और उन्हें घटाकर खरीफ की अनाज, दलहन एवं तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि की 2 प्रतिशत तक, रबी की अनाज, दलहन एवं तिलहन फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत तक और खरीफ एवं रबी सालाना व्यवसायिक/वार्षिक बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत अधिकतम सीमा तक किया जाना शामिल है। वर्ष 2016–17 के लिए 5500 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। राज्यों से इस योजना को खरीफ 2016 के आरंभ में लागू करने का अनुरोध किया गया है। यह योजना उन किसानों को अपार राहत प्रदान करेगी, जिनकी फसलों की पैदावार पर अक्सर प्राकृतिक आपदाओं के खतरे का साया मंडराता रहता है।

सॉइल हेल्थ कार्ड योजना

हरित क्रांति के प्रारंभ के साथ ही, भारत में उर्वरकों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा, लेकिन इससे बेहिसाब यूरिया को प्रमुखता मिली। 1970 के दशक के आरंभ में नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाश का औसत अनुपात 6:1, 9:1 था 1996 में इसका पलड़ा नाइट्रोजन के पक्ष में झुक गया यह अनुपातः 10:2, 9:1 तक पहुंच गया। उसके उपरांत वर्ष 2012–13 में विपरीत दिशा में मामूली बदलाव आया, लेकिन यह अनुपात 8.2:3, 2:1 पर बरकरार है। सामान्य धरणा

है कि भारतीय किसान यूरिया का बहुत अधिक उपयोग करते हैं लेकिन उपरोक्त तत्य दर्शाते हैं कि यह भी बहुत एकांगी दृष्टिकोण है। मृदा और फसल के प्रकार तथा सिंचित बनाम वर्षा सिंचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत है। किसानों को उनके खेत के पोषण के स्तर की जानकारी देने के लिए अब सॉइल हैल्थ कार्ड योजना कार्यान्वित की जा रही है, ताकि वह उर्वरकों के उपयोग के बारे में ज्यादा समझदारी से निर्णय ले सकें। इस योजना के अंतर्गत मार्च 2017 तक समस्त 14 करोड़ खेतों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेशनल प्रॉजेक्ट ऑन सॉइल हैल्थ एंव फर्टिलिटी (मृदा स्वास्थ्य एवं उत्पादकता से संबंधित राष्ट्रीय परियोजना) के लिए 368 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा अगले तीन वर्षों के दौरान उर्वरक बनाने वाली कंपनियों के मृदा और बीज परीक्षण सुविधाओं सहित 2000 मॉडल रिटेल आउटलेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे।[3]

पूर्वोत्तर भारत में परंपरागत कृषि विकास योजना और ऑर्गेनिक खेती

वर्षा सिंचित क्षेत्रों जो देश की कृषि भूमि का लगभग 55 प्रतिशत हैं, में फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार ने दो महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की हैं। पहली, 'परंपरागत कृषि विकास योजना', जो अगले तीन वर्षों के दौरान पांच लाख हेक्टेयर भूमि को ऑर्गेनिक खेती के दायरे में लाएगी। दूसरी, ''पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऑर्गेनिक मूल्य शृंखला विकास'' नामक मूल्य शृंखला (वैल्यू चेन) पर आधारित ऑर्गेनिक खेती योजना सरकार ने शुरू की है। इसमें मूल्य वर्धन पर जोर दिया गया है, ताकि इन भागों में उगने वाले ऑगेनिक उत्पादों को घरेलू और विदेशी बाजार उपलब्ध हो सकें। इन योजनाओं के लिए कुछ 412 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि मंडी (एनएएम)

कृषि उपज विपणन प्रणालियों को लेवी और मंडी करों की बहुत अधिक असंगतियों और विविधताओं का सामना करना पड़ता है। ये न तो पारदर्शी हैं औ न ही सभी राज्यों में एक समान हैं और किसानों के लिए लाभाकरी मूल्य पाने में प्रमुख बाधा हैं। यहां तक कि राज्यों के भीतर भी कृषि संबंधी जिंसों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने पर गंभीर प्रतिबंध हैं। कर्नाटक द्वारा एक मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें राज्य सरकार की एजेंसी और एनसीडीईएक्स स्पॉट एक्सचेंज के संयुक्त उद्यम के साथ कई मंडियों को एकल लाइसेंसिंग सिस्टम में एक साथ जोड़ा गया है, जो स्वाचालित या ऑटोमेटिड नीलामी और नीलामी के बाद की सुविधाओं की पेशकश करता है। इस मॉडल को आधार के रूप में ग्रहण करते हुए, सरकार ने 200 करोड़ रुपये के बजट के साथ वर्ष 2015–16 से वर्ष 2017–18 के दौरान कार्यान्वयन के लिए हाल ही में एग्री–टैक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एटीआईएफ) के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि मंडी (एनएएम) नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है। यह योजना कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन स्मा फार्मर्स एग्री–बिजनेस कंर्सोटियम (एसएफएसी) के जरिए एनएएम के कार्यान्वयन की परिकल्पना करती है। एनएएम अखिल भारतीय इलैक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग पोर्टल के लिए संभावनाए उपलब्ध कराती है, जो कृषि जिंसों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय मंडी बनाने के लिए चुनिंदा कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) के मंडी स्थलों का नेटवर्क तैयार करेगा। देश भर में राज्यों द्वारा अपने विपणन कानूनों में (1) राज्य भर में एकल लाइसेंस वैध बनाने, (2) एक ही स्थान पर बाजार शुल्क की वसूली और (3) मूल्य का पता लगाने के साधन के रूप में, इलैक्ट्रॉनिक नीलामी के प्रावधान से संबंधित पूर्व में किए गए सुधारों के आधार पर चुनिंदा 585 नियंत्रित थोक मंडियों में ई–प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा।[4]

मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ)

मूल्य अस्थिरता एक प्रमुख आघात है, जिसका सामाना किसानों को खेती–बाड़ी में करना पड़ता है। अक्सर यह इतना कम होता है कि उत्पाद की बिक्री के सीजन में कभी भी लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता, जबकि खरीद के समय यह इतना महंगा होता है कि खरीदने की सामान्य क्षमता से बाहर हो जाता है। पीएसएफ की स्थापना खराब हो जाने वाली कृषि और बागवानी से संबंधित वस्तुओं की खरीद और वितरण के लिए की गई है। इस कोष

को लक्ष्य कृषि और बागवानी से संबंधित खराब हो जाने वाली वस्तुओं की खरीद और वितरण तथा किसानों साथ ही साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कार्यशील पूँजी और अन्य लागत उपलब्ध कराना है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

कृषि क्षेत्र में मवेशी, सकल मूल्य के 25 प्रतिशत का योगदान देते हैं, और लगभग 21 मिलियन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। यह कृषि में तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से है और यह क्षेत्र किसान को किसी भी प्रकार की विपदा से उबरने की ताकत और अतिरिक्त आमदनी उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन वर्ष 2014–15 में स्वदेशी प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रारंभ किया गया था। यह स्वेदशी प्रजातियों के विकास के लिए एकीकृत मवेशी विकास केंद्रों, गोकुल ग्रामों की स्थापना की भी परिकल्पना करता है। इस मिशन के लिए वर्ष 2013–14 से वर्ष 2014–15 तक का परिव्यय 500 करोड़ रूपए था। इसके अलावा वर्ष 2015–16 के लिए स्वदेशी प्रजातियों के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई।

निष्कर्ष

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बिहार में कृषि विकास हेतु सरकारी जो भी नीतियां हैं वह पूर्ण रूप से कार्यरत है। सरकार का विशेष रूप से इस पर ध्यान रहता है। सरकार यह चाहती है कि बिहार में कृषि का संपूर्ण विकास हो क्योंकि कृषि किसी भी देश की रीड की हड्डी होती है। यदि कृषि का विकास नहीं हो तो संपूर्ण विकास अवरुद्ध हो जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कृषि के विकास से संबंधित जो भी विचारधाराएं थी वह आज शत–प्रतिशत लागू होती है। आज जरूरत इस बात की है कि सरकार इस पर विशेष रूप से ध्यान दें इस पर तरह–तरह के सेमिनार कॉन्फ्रेंस करवाएं और कृषकों को अत्यधिक सुविधाएं दे।

संदर्भ सूची

1. पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार।
2. लोकसभा में उठाए गए विभिन्न सवालों का कृषि मंत्री द्वारा दिया गया जवाब।
3. कृषि विभाग की ओर से समय–समय पर जारी की गई रिपोर्ट।
4. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र से प्राप्त जानकारी।

––==00==––